न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/71/2019	2019/00149	08-08-2019	13-01-2021

01. कल्लू पुत्र रहमत
02. अयुब पुत्र रहमत जातियान मेव निवासीयान ग्राम रघुनाथगढ़ तह0 रामगढ़ जिला अलवर।

–अपीलांट्स

बनाम

01. तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर। –रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ़ दिनांक 31.01.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 06/2018

उपस्थितः–

01–श्री शकूर खांन –वकील अपीलाण्ट

–:निर्णयः–

अपीलांट्स ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 31.01.2018 जिसके द्वारा अपीलांट को ग्राम रघुनाथगढ़ की सरकारी गै0मु0बेहड़ भूमि के आराजी खसरा नम्बर 300/0.26 है0 में से 0.13 है0, 301/0.13 है0 में से 0.13 है0 एवं 302/0.10 है0 में से 0.10 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम रघुनाथगढ़ की सरकारी गै0मु0बेहड़ भूमि के आराजी खसरा नम्बर 300/0.26 है0 में से 0.13 है0, 301/0.13 है0 में से 0.13 है0 एवं 302/0.10 है0 में से 0.10 है0 पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 11.01.2018 को अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने सजा व पैनल्टी से दण्डित किया। अपीलांट्स को पश्चामवर्ति माना है व पूर्व में अपीलांट्स को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दि0 31.01.2018 अपास्त फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 31.01.2018 के विरूद्ध दिनांक 08.08.2019 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलांट्स द्वारा दिनांक 08.08.2019 को विवादित आराजी पर कब्जा नहीं करना बताया है तथा तहसीलदार रामगढ़ द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 27.02.2020 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलांट्स का अतिक्रमण हटाना बताया है। अतः प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धांत एवं न्यायोचित प्रक्रियानुसार अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलांट्स को आरोपित सजा से मुक्त किया जाता है तथा अपीलांट्स को दण्ड स्वरूप पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थं भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13-01-2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)

COURT OF THE ADDITIONAL ... अतिरिक्त जिला कलक्टर ... अलवर (राज.) ALWAR (RAJ.)